Title: Raised a discussion regarding atrocities committeed on minorities in various parts of the country.
1721 hours

MR. SPEAKER: We shall now take up item no. 15 - Discussion under Rule 193. Now I request Shri Arif Mohammad Khan to raise a discussion regarding atrocities committed on minorities in various parts of the country.

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : सम्मानित अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक वर्गों पर होने वाली ज्यादतियों, उत्पीड़न और परेशान करने की घटनाओं पर चर्चा करने का आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। टैक्नीकली यह चर्चा श्रीमती गीता मुखर्जी को शुरु करनी थी, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत दी कि मैं इस चर्चा को शुरु करूं।

महोदय, पिछले कई महीनों से अखबारों में निरंतर समाचार छप रहे हैं। खास तौर से हमारे क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों की अनेकों हत्याएं हुई, ननों के साथ बलात्कार हुआ है, गिरिजाघरों को अपवित्र करने की कोशिश की गई है और स्कूलों पर हमले किए गए हैं। पिछले तीन महीनों में केवल असॉल्ट के २६ मामले हुए और पवित्र स्थानों को डीसेक्रेट करने के २९ मामले हुए।

... (व्यवधान)

मैं पिछले एक-डेढ़ महीने की घटनाएं बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत लम्बी लिस्ट है, जो हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से तैयार की गई हैं। पवित्र किताबों को जलाया गया है। यहां मेरे पास बाइबल है। बाइबल के आखिर में एक कंसेशन का फार्म होता है। इस फार्म के लिए कहा गया कि यह धर्म परिवर्तन कराने का फार्म है, इस पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए दस्तखत कराए जाते हैं। यह आरोप लगाकर ३०० से ज्यादा बाइबलों को राजकोट में जलाया गया। हमारी क्रिश्चियन संस्थाओं के पास जली हुई बाइबलें थीं, जिनमें से उन्होंने एक मुझे भी दी। उनके पास जली हुई बाइबलों के बचे हुए कागज मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी वंदे मातरम और सरस्वती वंदना को लेकर एक अनावश्यक विवाद शुरू करने की कोशिश की गई और मशहूर इस्लामी आलम मौलाना अबुल हसन अली नकवी, जिनको अली मियां के नाम से जाना जाता है उनके घर पर छापा डाला गया। उनके परिवारजनों के साथ आपत्तिजनक और अपमानजनक व्यवहार किया गया।

महोदय, अभी चार दिन पहले की घटना है। देहरादून में गुरू राम दास अकादमी पर हमला किया गया। पवित्र गुरू ग्रंथ साहब का अपमान करने की कोशिश की गई।

सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लंबे समय से चले आने वाले अध्यक्ष, मैं निजी हैसियत से उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के नाते, केन्द्र में जो शासक दल है, उनकी सिस्टर आर्गेनाइजेशन के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि सरदार गुरचरण सिंह तोहड़ा अलगाववादी हैं। ऐसा कह कर उनकी प्रतिष्ठा पर हमला करने की कोशिश की गई। पहले दिन इस माननीय सदन में इस ि वषय की गम्भीरता पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और आपसे अनुरोध करने के लिए कि इस पर चर्चा करने की इजाजत दी जाए तो अली मियां की बात कही गई। उस समय एक माननीय सदस्य, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ने कहा कि आप देशद्रोहियों की बात कर रहे हैं। यह बात केवल सदन में नहीं कही गई। माननीय खुराना जी सिर हिला रहे हैं। उनकी बड़ी कृपा है वरना जोर से बोलते तो मुझे बैठ जाना पड़ता। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि नहीं कहा गया लेकिन मेरे पास वह अखबार है जिस में शासक दल के नेता ने यह बात कही है। मुझे मालूम नहीं उसे फ्रंट आर्गेनाइजेशन कहूं या सिस्टर आर्गेनाइजेशन कहूं, उनके पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि जो लोग ठवंदे मातरम्' और ठसरस्वती वन्दना' का विरोध कर रहे हैं, वे राष्ट्रद्रोही हैं। वे भारत की औलाद नहीं हैं। मेरे ख्याल से जितना अनावश्यक विवाद शुरु करने की कोशिश की गई, उससे भी ज्यादा अगर किसी चीज की निन्दा की जानी चाहिए वह यह है कि आप किसी की राष्ट्रीयता के बारे में इंस्पैक्टर बन कर बैठ जाएं और बताएं कि कौन भारत का बेटा है और कौन नहीं है, कौन भारत मां की औलाद है और कौन नहीं है, कौन राष्ट्र प्रेमी है और कौन नहीं है? वंदे मातरम् अगर भारत मां की स्तुति का मामला है तो मैं अपनी मां के प्रति अपनी भावनाओं, आदर और सम्मान को किस प्रकार अभिव्यक्त करूं, क्या यह कोई दूसरा मुझे बताएगा? विविधता जो कि प्रकृति का नियम है क्या आप उसे खत्म करके सब के ऊपर एक जैसी चीज लादना चाहते हैं?

17.28 hrs. (Shri Basu Deb Acharia in the Chair)

श्रीमन्, आपने जब से होश सम्भाला है, आपने आदर स्वरूप अपनी मां के पैर छुए होंगे। मैंने होश सम्भालने के बाद अपनी मां के कभी पैर नहीं छुए। मुझे उनके प्र ाति पूरा आदर है। जो मां के प्रति मोहब्बत और आदर बताने के लिए पैर छूता है केवल वहीं अपनी मां से प्यार नहीं करता। आप मेरे ऊपर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि मैं मातृद्रोही हूं, मैं मां से मोहब्बत नहीं करता? मैं आपका तरीका अपनाऊं तब समझा जाएगा कि मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। अगर आपका तरीका नहीं अपनाऊंगा तो आरोप लगेगा कि मैं मां का बेटा नहीं हूं। यह कौन सी प्रवृत्ति है? मेरा अकीदा है और मेरे मजहब ने मुझे यह सिखाया है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मैं मां के पैरों के नीचे जन्नत मानता हूं। यह मेरी अकीदत का हिस्सा है तो यकीनी तौर पर मैं उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या यह जरूरी है कि मैं आपका तरीका अपनाऊं तभी माना जाएगा कि मैं अपनी मां से मोहब्बत करता हूं।

या मां का आदर करता है। आज समस्या यह है कि इन सारी घटनाओं के नतीजे में, जैसा मैंने पहले कहा आरोप क्या लग रहा है। आरोप लग रहा है कि उत्तर प्र ादेश की सरकार कहती है कि अली मियां के घर पर छापा हमने नहीं डाला, यह कोई साज़िश थी। आज तीन हफ्ते से ज्यादा हो गये हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर साजिश थी तो बताइये साजिश करने वाले कौन थे। विश्व हिन्दू परिषद का एक सरकुलर निकला है-

VHP Karnataka Statewide protest against Christian Schools.

हमारे क़िशचियन संस्थाओं पर हमले किये जा रहे हैं और बजरंग दल की तरफ से क़िशचियन संस्थाओं पर हमले आयोजित कराये जा रहे हैं। हमारा आरोप यह नहीं कि ये सरकार द्वारा आयोजित कराये जा रहे हैं लेकिन उन संगठनों के जरिये ये हमले आयोजित कराये जा रहे हैं, केन्द्र में जो मुख्य शासकदल है, उसके फ्रंटल आर्गेनाइजेशन्स या सिस्टर आर्गेनाइजेशन्स हैं। ये हमले उनकी तरफ से आर्गनाइज किये जा रहे हैं। इसके नतीजे में असुरक्षा व्याप्त होना, अदम तहाबुज का अहसास पैदा होना, आम आदमी के अंदर यह ख्याल पैदा होना कि यह सरकार या अगर सरकार नहीं तो वे लोग जो सरकार के नज़दीकी हैं, यहां हमारी जिन्दगियों को तंग कर देना चाहते हैं, हमारे जीने के रास्ते बंद कर देना ताहते हैं। ने हमें बराबर का शहरी बनकर नहीं रहने देना चाहते हैं। वे हमारे संवैधानिक अधिकारों से हमें वंचित कर देना चाहते हैं। अगर उनके अंदर यह भावना आती है तो क्या गलत है? मैं आसानी से कह सकता था कि आखिर आपका उनसे ताल्लुक है।

तुम्ही दिलबर, तुम्ही कातिल, तुम्ही मुंसिफ ठहरे,

अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर?

ये आपसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो हमारी संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं। वे आपसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनकी सरकार की पुलिस मेरे धर्म गुरु के घर पर छापा डाल रही हैं।। वे आपसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो बाइबल जला रहे हैं। मेरे मन में तो यह है कि बाइबल जलाने वाले, घरों पर हमला करने वाले लोग सीधे आपके राजनैतिक संगठनों के न सही, आपके सिस्टर आर्गेनाइजेशन्स के सदस्य हैं उस नाते अगर मेरे मन में असुरक्षा की भावना नहीं और आप कहें कि हमारा हाथ नहीं तो फिर मैं दूसरी देहाती मिसाल इस्तेमाल करूंगा कि वे लोग यह समझते हैं कि- सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी यह समझते हैं कि अगर माननीय आडवाणी जी की मौजूदगी में खड़ी बाबरी मस्जिद शहीद की जा सकती है, यदि अली मियां के घर के सामने अ पमानजनक घटना होती है तो कौन सी बड़ी बात है। अगर राजकोट का पुलिसकर्मी सोच सकता है कि देश के ग़ृहमंत्री उस जगह पर मौजूद थे, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, तो वे सोच सकते हैं कि बाइबल को जलने दो, क्या फर्क पड़ता है, वहां तो मस्जिद गिराई गई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परसों माननीय आडवाणी जी का बयान आया जिसका मुझ पर असर पड़ा। उस बयान से आडवाणी जी की वेदना और पीड़ा प्रतिबिम्बित होती है। मैं माननीय आडवाणी जी पर आरोप नहीं लगा रहा लेकिन १९९२ में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। जिस तरह की प्रवृत्ति इस देश के अंदर बढ़ी, उससे असहिष्णुता बढ़ी, साम्प्रदायिक स्तर पर नफरत की दीवारें खड़ी हो गईं।

महोदय, छः साल में उन्होंने इतनी गहरी जड़ें पकड़ ली हैं कि परसों जो पीड़ा और वेदना ग़ृह मंत्री जी ने व्यक्त की, उस पर उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वे जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और अगर मैं गलत न समझा जाऊं और मेरे इशारे को दूसरे देश की तरफ न समझा जाए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब देश के बटवारे का आंदोलन चला, उसके बाद देश का बंटवारा हुआ और देश के बंटवारे के बाद जो हम स्वतंत्र देश बने, तो इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जनक ने कांस्टीटयूएंट असैम्बली की पहली मीटिंग में कहा कि-

"Now the Hindus shall cease to be Hindus and the Muslims shall cease to be Muslims" and it declared about this new country that "it will be a secular country".

लेकिन उनके डिक्लेरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो आंदोलन उन्होंने चलाया था उसमें जिन प्रवृत्तियों को ताकत मिली थी, उनके रहते इस ऐलान का कोई मतलब नहीं रह गया था, लेकिन माननीय आडवाणी जी एक मामले में उनसे अलग हैं। उनके हाथ में केन्द्रीय सरकार के ग़ृह मंत्रालय की बागडोर है। मैं इस बात को तो पक्का मानता हूं कि उन प्रवृत्तियों को इतना बल मिला है कि आज की तारीख में उन्हें कमजोर करना आसान नहीं होगा, परन्तु वास्तव में आपकी वेदना को, वास्तव में आपकी पीड़ा के बारे में मुझे 'वास्तव' कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं आपके ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मानता और न मैं कोई इस बात का इंस्पैक्टर हूं, मैं यकीन करता हूं कि आपकी वेदना, आपकी पीड़ा सही है और यदि वह सही है, तो फिर इतने से काम नहीं चलेगा। हम चाहेंगे कि आप कम से कम उन लोगों को जो आज की तारीख में यह हिम्मत करते हैं कि देहरादून में गुरू राम दास एकैडमी में घुस कर गुरू ग्रंथ साहब का अपमान करने की कोशिश करें, जो लोग राजकोट में बाईबिलों को जलाते हैं, जो लोग लखनऊ में हर तरह की धमकियां देते हैं, अली मियां के घर पर छापा डल वाते हैं, उनके खिलाफ आज की तारीख में सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। देर जरूर लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे ही सही उसका प्रभाव तो होगा। मैं आपसे वह कार्र वाई करने के लिए कह रहा हूं जो जिसका इस देश के कानून में प्रॉविजन है। यदि वह कार्रवाई ऐसी ताकतों के खिलाफ कर दी जाए, तो फिर मुझे कोई शंका नहीं। हालांकि उससे वे प्रवृत्तियां कमजोर नहीं होंगी क्योंकि वे प्रवृत्तियां बहुत मजबूत हो चुकी हैं, किन्तु यदि ऐसा होगा, तो एक अच्छी शुरूवात होगी कि कम से कम उस दिशा की तरफ बढ़ने की एक शुरूवात तो हुई।

श्रीमान, इस समय देश में जो माहौल है, उस पर पिछले एक सप्ताह में सदन में कई बार चिन्ता व्यक्त की गई है और सदन को चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए इसलिए कि यह सदन लोकतंत्र की पैदावार है और समाज को जो चीज चिन्तित कर रही है वह यहां प्रतिबिम्बित होनी चाहिए और केवल प्रतिबिम्बित ही नहीं होनी चाहिए बल्कि शायद उससे कुछ आगे करने की जरूरत है। इस देश को यह बताने और नया विश्वास देने की जरूरत है क्योंकि देश आज एक अजीब दोराहे पर खड़ा है। मेरे अधिकार की रक्षा के लिए कानून है, लेकिन उस कानून को कोई लागू करने वाला नहीं है। इसलिए इस देश को बताना पड़ेगा कि इस देश की शासन-व्यवस्था कुछ दबंग वर्गों, कुछ महाप्रभुओं और कुछ वंश-अभिमानियों की इच्छानुसार नहीं चलेगा, बल्कि इस देश के संविधान के मुताबिक इस देश की शासन-व्यवस्था चलेगी। चन्द दबंग लोग, जो कुछ मन में आता है, वह करना चाहते है। मैं इसी बात की तरफ आ रहा हूं। आज जिस तरह का सब्जैक्ट चुना गया है उसमें हमारी मजबूरी है कि संवैधानिक आवेश पहनाने के लिए, नियम का आवेश पहनाने के लिए इस शब्दावली की आवश्यकता है। इससे एक इम्प्रैशन यह जाता है कि मायनॉरिटी के ऊपर मैजोरिटी की तरफ से जुल्म हो रहा है। यह मैं साफ करना चाहता हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं है।

यह अत्याचार हैं, ज्यादातियां हैं, उत्पीड़न है तो ये उत्पीड़न, ज्यादातियां और अत्याचार बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं है बल्कि मैं कुछ हद तक माननीय आडवाणी जी और बी.जे.पी. के अन्य नेताओं से इत्तफाक रखता हूं कि

इस देश में माइनौरिटिज्म है, वास्तव में माइनौरिटिज्म है लेकिन धार्मिक माइनौरिटिज्म नहीं है, सामाजिक माइनौरिटिज्म है। एक छोटा सा माइनौरिटिज्म है जिनके अंदर वंश अभिमान है। जो दबंग हैं, जो अपने आप को महाप्रभु मानते हैं, वे हजारों साल से इस देश के बहुसंख्यक वर्ग का खून चूस रहे हैं। हजारों साल से पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर आज हम यह शिकायत यहां कर रहे हैं, तो हमारी शिकायत मैजोरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ नहीं है, बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ नहीं है। हमारी शिकायत उस सामाजिक अल्पसंख्यक, धार्मिक नहीं, सामाजिक अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है जो उस मैजोरिटी कम्युनिटीज के मौजोरिटी लोगों का भी खून चूसता है।

मैं यह भी नहीं मानता कि इस देश में नैशनलिज्म और सैक्युलरिज्म के बीच में लड़ाई है, यह बात असल समस्या की तरफ से ध्यान हटा देती है। इस देश में जो असल लड़ाई है, वह लड़ाई है कि इस देश का शासन तंत्र, इस देश के संविधान और कानून के मुताबिक चलेगा या जिनके बारे में मैंने कहा, चंद दबंग वर्ग की इच्छानुसार चलेगा। इस देश में कानून का राज होगा। कानून संविधान का टकराव संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों में है जो हजारों साल से हमारे साथ बंधे चले आ रहे हैं। देश का संविधान तो बराबरी की बात करता है, समता मूलक समाज, समता समान अवसर, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा, किसी भी प्रकार के भेदभाव, धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो, उनको अधिकार देता है, न केवल अपनी संस्थाएं चलाने का, शैक्षणिक संस्थायें स्थापित करने का बल्कि आर्टिकल १४ से ३० तक यह भी सुनिश्चित करता है कि ऐसी संस्थाओं को मदद करते समय सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगी।

ऐसा नहीं है कि धार्मिक बहुसंख्यक वर्ग के अधिकार सुनिश्चित किये गये हों बल्कि इस देश के हरेक नागरिक को यह अधिकार सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल २५ से आर्टिकल ३० तक खास अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को जिनका ताल्लुक धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर हो, उनके लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस देश में रहने वाले वे लोग जो किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस देश के कानून से कोई शिकायत नहीं हो सकती, इस देश के संविधान से कोई शिकायत नहीं हो सकती। समस्या यह है कि इस देश में चलने वाली वे पुरानी व्यवस्थाएं जहां इंसान का दर्जा बराबरी का नहीं बल्कि उसके जन्म के आधार पर तय होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, जन्म के दिन ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि तुम चाहे जितने संविधान बनाओ, चाहे जितनी समता की बात करो, बराबरी की बात करो, हम जिस दिन बच्चा पैदा होगा, उसी दिन तय कर देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। हम उसी दिन तय कर देंगे कि किसके पैर छुए जायेंगे और किसको पैरों तले रौंदा जायेगा। हम उसी दिन तय कर देंगे कि कौन सछूत है और कौन अछूत है, ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार पर मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। धर्म यह नहीं कहता, धर्म तो कुछ और है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि इस देश की परम्पराएं क्या हैं? इस देश की परम्पराएं हैं-अशोक महान, रॉक एडिक्ट नं १२ जो कि शिला पर लिखा हुआ है, जिसको डिकोट किया गया है।

"He who does reverence to his own sect while disparaging the sects of others, wholly from attachment to his own, with intent to enhance the splendour of his own sect, in reality, by such conduct inflicts the severest injury on his own sect."

चार वेद, छः शास्त्रों में बात मिली है दोए -

सुख दीने सुख होत है दुख दीने दुख होए।

भारत की तो यह परम्परा है जहां यह कहा गया कि मेरे धर्म के प्रति मेरा जो प्यार, आदर और सम्मान है, उसे दर्शाने के लिए यदि मैं किसी दूसरे धर्मावलम्बी या उसकी किसी परम्परा को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो ऐसा करके उसको कितना नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं नहीं जानता लेकिन निश्चित तौर पर अपने धर्म को नुकसान पहुंचाऊंगा। भारत की परम्परा तो यह है कि स्वामी विवेकानन्द ने महाराजा खेत्री को लिखा कि मेरे बेटे, यह संभव नहीं कि तुम किसी से नफरत करो

that you hate somebody and you live in peace. India's doom was sealed on the day word Mlechh was invented. Mlechh is the word which was used for Muslims, Christians and non-Hindus.

मैं उसे सही प्रनाउंस नहीं कर रहा, उस व्यवस्था के जानने वाले बेहतर प्रनाउंस कर सकते हैं।

He further said "and stopped communion with others".

दूसरों के साथ अपने सम्पर्क खत्म कर लिए और मलैच्छ शब्द का अविष्कार किया, उस दिन भारत का पतन सुनिश्चित हो गया।

... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : जिस दिन हिन्दू को काफिर कहा गया, उस शब्द का अर्थ क्या निकलता है।

... (व्यवधान)

मलैच्छ कहा गया, वह गलत है मगर जब हिन्दू को काफिर कहा गया, वह किस दिन कहा गया और क्यों कहा गया।

... (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, सोर्स के साथ, अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं। माननीय हरिन पाठक जी वह सोर्स ले आएं जहां कहा गया हो, मैं बता दूंगा लेकिन अफवाहों की जो मशीन आपने स्थापित की हुई है

... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मैंने तो सुना है।

... (व्यवधान)

आपको वक्तव्यों में सुना है।

... (व्यवधान)

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : Sir, I am ready to yield, but this running match cannot go on.

MR. CHAIRMAN : You address the Chair.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि मुझे सोर्स बताएंगे कि यह सोर्स है तो फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया बताऊंगा। लेकिन यहां यह प्रौबल्म है कि आपका संबंध उन लोगों से है जो आधे घंटे में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध पिला देते हैं। यदि आप यह बात कह दें तो कौन सी खास बात है। कहिए, शौक से कहिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, सोर्स के साथ बोल रहा हूं और मेरे पास यहां किताबें भी मौजूद हैं कि यदि मुझे चुनौती दें तो मैं किताबों में से निकालकर बता दूंगा।

... (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सिर्फ आप ही सोर्स के साथ बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri swain, do not interrupt. Please take your seat.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Mr. Chairman Sir, this is a very sensitive matter. I think, the House should not be divided between Hindus, Muslims, Sikhs or Isais. The House should be together. When a Member is speaking, there should not be any running commentary.

MR. CHAIRMAN: All right.

... (Interruptions)

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : This is what she is saying. ....(Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : He should realise what I said. ....(Interruptions)

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : She is saying the same thing in a different way.

MR. CHAIRMAN: Shri Khan, please try to conclude now.

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने अपना काम किया है, आप अपना काम

करें।

... (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इस देश की परम्पराओं, इस सिलसिले में जो इस्लामी परम्पराएं हैं, निश्चित तौर पर मैं उनकी तरफ भी आऊंगा लेकिन चूंकि बात प्र ाचीन परम्पराओं की हो रही है और बहुत सारे काम इस देश की प्राचीन परम्पराओं के नाम पर किए जाते हैं, इसलिए मैं इस तरफ आ रहा हूं कि इस देश की प्र ाचीन परम्पराएं क्या हैं।

इस देश की प्राचीन परम्परा यह है कि आज से १०० साल से भी ज्यादा पहले शिकागो में स्वामी विवेकानन्द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में पहुंचते हैं और वहां पर कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा ताल्लुक उस देश से है, मेरा सम्बन्ध उस धर्म से है, जिसमें धर्म के नाम पर उत्पीड़न का कोई इतिहास नहीं। वे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा सम्बन्ध उस संस्कृति से है, मेरा सम्बन्ध उस धर्म से है कि जिसने दुनिया को केवल सहिष्णुता, टोलरेंस नहीं, बल्कि सार्वभौमिक स्वीकृति, दोनों ही सिद्धान्त दिये हैं। '

I not only tolerate, but I accept all religions."

उसके बाद कहते हैं कि मेरा ताल्लुक वहां से है, उस देश से है कि जहां लाखों लोग अपने हर दिन की शुरूआत करते हैं, किससे?

'रुचि नाम वैचित्रया, दिल कुटिल नाना पाथ जिसाम,

तृणमे को गमेच्छः वमसि, पैसा मृणव इवः।'

यह प्रेयर है, दुआ है, जिसके साथ इस देश के लाखों आदमी शुरूआत करते हैं, अपने दिन की शुरूआत करते हैं। क्या कहते हैं, 'जैसे विभिन्न नदियां भिन्न-भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न-भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अन्त में तुझी में आकर मिल जाते हैं।' यह भी इसलिए कहा कि यह तो इस देश की परम्परा है और इससे आगे बढ़कर भी कहना चाहूंगा। एक जगह स्वामी जी ने कहा कि '

I cannot believe in a God or religion which cannot wipe the tears of a widow and cannot feed the hungry orphans."

मैं ऐसे धर्म या भावना को मानने से इंकार करता हूं, जो एक विधवा के आंसू न पोंछ सके और एक यतीम बच्चे के पेट को न भर सके। ये भारत की प्राचीन परम्पराएं हैं और इन परम्पराओं के नाम पर जैसे अभी रोका-टोकी हो रही थी, मालूम हो कि आज प्राचीन परम्परा बताइये तो वह भी बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है, क्योंकि आपका आचरण उससे बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन परम्परा के अनुसार विधवा के आंसू पोंछने में प्राचीन परम्परा का हिस्सा था। आज उस प्र ाचीन परम्परा के नाम पर विधवाएं बनाई जा रही हैं। जान लेकर अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखने वाले आदमी को अगर आप मारते हैं तो आप उसकी बीवी को विधवा बनाते हैं या नहीं बनाते? उस परम्परा के नाम पर, जो परम्परा विधवा के आंसू पोंछने में यकीन करती है, आज विधवाएं बनाई जा रही हैं। उस प्राचीन परम्परा के नाम पर, जो प्राचीन परम्परा यतीम बच्चे का पेट भरना चाहती है, उस प्राचीन परम्परा के नाम पर उसके बाप को मारकर उसको जिंदगी भर के लिए यतीम बनाया जा रहा है और उसे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्राचीन परम्परा के नाम पर चेहरे पर मुस्कान लाने की बजाय बहनों के सुहाग लूटने की कोशिश की जा रही है। हमारी प्राचीन परम्परा वह नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि हमारा तो 'एकम सब विप्र बहुधा वदन्ति।' सच्चाई एक है, हक एक है, जानने वाले उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं और एक नहीं, एक के बाद एक उद्धरण देते चले जाइये। लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है कि जब धर्म के जो आध्यात्मिक सिद्धान्त हैं, उनको यह मान लिया जाये कि उसके बीच में और जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके बीच में फर्क खत्म कर दिया जाये, कहा जाये कि धर्म में और सामाजिक व्यवस्था में फर्क है। धर्म वह है कि वनवास को जाते हुए रामचन्द्र जी सबरी के झूठे बेर खाते हैं और व्यवस्था वह है कि जब राज-काज आ जाता है और जब एक ब्राहमण आकर कहता है कि इस कुल का तो नाश हो गया। क्या नाश हो गया? कहा कि मेरा जवान बेटा मर गये। गौर किया, क्यों मर गया तो ऊपर से आवाज आई कि एक शूद्र जंगल में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, उस शूद्र की तपस्या करने के कारण ब्राहमण का बेटा मर गया। रथ सजवाया गया।

रथ सजाकर जंगल में गए। शबरी के जूठे बेर खाने वाले जब व्यवस्था के मालिक बने तो उन्होंने शम्भूक का, निर्दोष शम्भूक का बाण मारकर वध कर डाला। डा. अम्बेडकर ने इसके बारे में लिखा है, उन्होंने कहा है कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, अपने धर्म का पालन कर रहे थे। धर्म क्या था, धर्म यह था कि अगर एक शूद्र ब्राहमण बनने की कोशिश करता है तो फिर उस वक्त के राजा का यही कर्ततव्य है कि वह ऐसा न होने दे, क्योंकि चातुर्य वर्ण जन्म के आधार पर तय होगा, कर्म के आधार पर नहीं होगा।

... (व्यवधान)

यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा है। जब आपका मौका आएगा, आप बोलें।

SqHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): You are trying to divide the whole House into two sects ... (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): He is only quoting the traditions ... (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : What is he quoting? ... (Interruptions)

SHRI A.C. JOS : He is narrating history ... (Interruptions) He is narrating the traditions of our culture ... (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : He is quoting so many things by which he is going to divide the nation into too many sects ... (Interruptions)

SHRI AKBAR AHMAD (AZAMGARH): What have you been doing all these years? ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Arif Mohammed Khan, please continue. ... (Interruptions)

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : Sir, I am not trying to divide this House. I am only trying to draw a dividing line between the old traditions of this country, the real Hinduism as propounded by Swami Vivekanand and other great leaders of this country and the fake Hinduism which is being propounded by them ... (Interruptions) Their `Hinduism' is nothing but a travesty of the great traditions of this country and I am trying to draw a line there ... (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : We know tolerance ... (Interruptions)

SHRI AKBAR AHMAD (AZAMGARH): You only know how to demolish mosques ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

... (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : In the name of minorities they want to rule this country ... (Interruptions) How many times have you come out in the name of ... (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Hon. Member, now, you are doing it ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): Sir, I am raising a point of order.

I am sure, even the Home Minister would not agree with the statement `in the name of minority they want to rule this country' made by my friend. That is not a fair statement. Let us not stand by such statements. Let us not generalise things and create problems for us ... (Interruptions)

SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): Sir, it is irrelevant as far as the spirit of democracy is concerned. It is better that he withdraws his words ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: All right. I would go through the records and if there is anything unparliamentary I will expunge it.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : It is unfortunate that after 50 years, this House has to discuss this issue ... (Interruptions) Therefore, today, we feel a large section of the people are facing problems because they belong to such a religion. It is a matter of great regret. Therefore, I join Ms. Banerjee when she says that let us not create passion and try to divide the House ... (Interruptions)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): आपकी ही तरफ से हो रहा है, हम शांति से सुन रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सुनिए।

He is speaking out of agony and anguish and let us respect it ... (Interruptions)

MR.CHAIRMAN: Shri Rawat, please take your seat.

श्री भगवान शंकर रावत : हम लोग शांति से सुन रहे हैं। गणेश भगवान का नाम लेकर उनका अपमान किया जा रहा है

... (व्यवधान)

हम शांति से बैठकर सुन रहे हैं ... (व्यवधान) इसलिए कि डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं

... (व्यवधान)

गणेश भगवान का मजाक उडाया गया है

... (व्यवधान)

18.00 hrs.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : They are exposing themselves.

श्री भगवान शंकर रावत : गणेश जी का अपमान किया गया है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): सारे हिन्दुओं का अपमान किया है। पूरे देश का अपमान किया है।

... (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत : कानून को बदलने वाले उन विधवाओं की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान)आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं।

... (व्यवधान)

हम शांति से सुन रहे हैं।

... (व्यवधान)

हम बार-बार सुन रहे हैं।

... (व्यवधान)

आप गणेश जी का अपमान कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: जब आपका नम्बर आएगा तब आप बोलिएगा।

... (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत : किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मौका नहीं दिया जा सकता।

... (व्यवधान)

यह नहीं हो सकता।

... (व्यवधान)

आपने गणेश जी का अपमान किया है।

... (व्यवधान)

श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या हमने कभी उनके देवताओं का अपमान किया है? ... (व्यवधान)

सभापति महोदयः आप बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI MADHUKAR SIRPOTDAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, we are discussing the subject of atrocities on minorities. We are not discussing about Hinduism here. Let the hon. Member, for God's sake, not bring any religion in to his speech. If he wants to discuss that, we should have a different subject matter before the House.

श्रीमती भावना कर्दम दवे :हमने कभी किसी के देवताओं के खिलाफ नहीं बोला। ... (व्यवधान)

सभापति महोदयः ठीक है, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत : यह गणेश जी का अपमान कर रहे हैं। यह क्या कोई तमाशा है?

... (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : यह जो बात कर रहे हैं, वह धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात है या नहीं है?

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Swain, please take your seat.

... (Interruptions)

श्री खारबेल स्वाईं : क्या चोरी करके पैसा खाना ही परम्परा है?

... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हिन्दुत्व क्या है, क्या अब यह हमें इनसे सीखना पड़ेगा? ... (व्यवधान)आप हमें हिन्दुत्व सिखाएंगे कि हिन्दुत्व क्या है।

... (व्यवधान)

Sir, the Motion before the House relates to atrocities on minorities. Let the hon. Member speak on that subject. Why should he unnecessarily bring in matters which are not related to the subject.

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : शांत होकर सुनिए।

... (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत : गणेश जी का अपमान किया जा रहा है।

... (व्यवधान)

क्या तमाशा कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Arif Mohammad Khan, are you going to conclude in five minutes or will you continue tomorrow?

... (Interruptions)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : इन लोगों को कुछ सिखाना है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Anil Basu, please take your seat.

... (Interruptions)

श्री भगवान शंकर रावत : हम गणेश जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ... (व्यवधान)

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Arif Mohammed Khan, you may continue tomorrow.

... (Interruptions)

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : Sir, I will continue tomorrow. But I want to say one sentence. This is very important... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, you are not permitted. I have already called the hon. Minister. He is laying the paper.

... (Interruptions)

18.06 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): Sir, on behalf of Shri Yashwant Sinha, I beg to lay -

A copy of the Kar Vivad Samadhan Scheme (Removal of Difficulties) Order, 1998 (Hindi and English versions) together with an explanatory memorandum published in Notification in Gazette of India, dated the 8th December, 1998 under sub-section (2) of section 97 of the Finance (No.2) Act, 1998.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Arif Mohammed Khan, you may continue your speech tomorrow.

... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, in the BAC today, it was decided that by tomorrow this discussion should be over. There are a large number of speakers from all sides. So, I am submitting that at least you kindly allow him to conclude his speech today. Otherwise, tomorrow we will be short of time.

MR. CHAIRMAN: Shri Arif Mohammed Khan, how much time will you take to conclude your speech?

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : Sir, I want around 40 minutes to conclude.

MR. CHAIRMAN: You conclude within five minutes.

... (Interruptions)

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : Sir, give me time to speak... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Then you may continue tomorrow.

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : I will continue tomorrow but please let me make a submission... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN : Shri Arif Mohammed Khan, let me first make my point... (Interruptions)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कल मेरी जान को खतरा हो गया, तो क्या आप जिम्मेदार होंगे। आप पहले मुझे बात कह लेने दीजिए।... (

Interruptions)

There may be a threat to my life. What do you mean?... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11.00 a.m.

18.07 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Wednesday, December 9, 1998/Agrahayana 18, 1920 (Saka)

_____